न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 22/2020

1 सरवती बेवा गुगन
2 धर्मवत पुत्र गुगन
3 गोपीराम पुत्र गुगन
4 मुकेश पुत्र गुगन
5 सुरेश पुत्र गुगन
6 सांवत पुत्र गुगन
7 लीलाराम पुत्र किशन (मृतक)
7/1 भगवती देवी पत्नी स्व लीलाराम
7/2 शंकरदयाल पुत्र स्व. लीलाराम
7/3 अशोक कुमार पुत्र स्व. लीलाराम
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण जमालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
7/4 विधा देवी पुत्री स्व. लीलाराम पत्नी टेकचन्द जाति गुर्जर निवासी जमालपुर हाल निवासी प्रतापसिंहपुरा तहसील बहरोड़ जिला बहरोड़ कोटपुतली।
7/5 किरपा पुत्री स्व. लीलाराम पत्नी धर्मपाल जाति गुर्जर निवासी जमालपुर हाल निवासी प्रतापसिंहपुरा तहसील बहरोड़ जिला बहरोड़ कोटपुतली।
7/6 कमलेश पुत्री स्व. लीलाराम पत्नी दलीप कुमार जाति गुर्जर निवासी जमालपुर हाल निवासी बुटेरी तहसील बानसुर जिला अलवर।
7/7 छोटी पुत्री स्व. लीलाराम पत्नी अनुप कुमार जाति गुर्जर निवासी जमालपुर हाल निवासी प्रतापसिंहपुरा तहसील बहरोड़ जिला बहरोड़ कोटपुतली।
8 फुलाराम पुत्र धोकल
9 पालाराम पुत्र धोकल
10 ग्यारसा पुत्र धोकल (मृत)
10/1 बादामी देवी पत्नी ग्यारसा
10/2 हंसराज पुत्र ग्यारसा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10/3 देवेन्द्र कुमार पुत्र ग्यारसा
10/4 जितेन्द्र कुमार पुत्र ग्यारसा
10/5 दीपक पुत्र ग्यारसा
11 मथरा पुत्र गोपाल (मृतक)
11/1 रोहताश पुत्र मथरा
11/2 जगदीश पुत्र मथरा
11/3 भाती पुत्री मथरा
11/4 विमला पुत्री मथरा
11/5 शारदा पुत्री मथरा
11/6 सुवा पुत्री मथरा
12 बनवारी पुत्र गोपाल (मृतक)
12/1 राजेश पुत्र बनवारी
12/2 सुनिल पुत्र बनवारी
12/3 मनी पुत्री बनवारी
12/4 कमलेश पुत्र बनवारी
12/5 किताब पुत्री बनवारी
12/6 उरमा पुत्री बनवारी
12/7 सुनिता पुत्री बनवारी
13 मोहर सिंह पुत्र बीरबल पुत्र रमसू पुत्र गोपाल
14 गणपत पुत्र मूलाराम
15 श्योराम पुत्र मूलाराम
16 शान्ति बेवा बाबूलाल
17 नाजिम पुत्र बाबूलाल
18 सुलतान पुत्र प्रभाता
19 सुरसति बेवा सोनिया उर्फ सोहन
20 लालचन्द पुत्र सोनिया उर्फ सोहन
21 हरनिया उर्फ हरनारायण पुत्र रामनाथ (मृतक)
21/1 धुमादेवी पत्नी हरनिया उर्फ हरनारायण

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

21/2 रामकुवार पुत्र हरनिया उर्फ हरनारायण
21/3 हनुमान पुत्र हरनिया उर्फ हरनारायण
21/4 श्रीराम पुत्र हरनिया उर्फ हरनारायण
21/5 शीशराम पुत्र हरनिया उर्फ हरनारायण
21/6 रामेश्वर पुत्र हरनिया उर्फ हरनारायण
21/7 भगवती पुत्री हरनिया उर्फ हरनारायण
21/8 नानची पुत्री हरनिया उर्फ हरनारायण
21/9 राजबाला पुत्री हरनिया उर्फ हरनारायण
समस्त जाति गुर्जर निवासी जमालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
22 ज्याना देवी पुत्री सारली एवं गंगलिया (मृतका)
22/1 वीरसिंह पुत्र ज्याना देवी
22/2 थावीर पुत्र ज्याना देवी
22/3 श्यामलाल पुत्र ज्याना देवी
समस्त जाति गुर्जर निवासी बलाना तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।
23 ग्यारसी पुत्री सारली व गंगलिया (मृतका)
23/1 झल्लाराम पुत्र ग्यारसी
23/2 जगदीश पुत्र ग्यारसी
23/3 कृष्ण पुत्र ग्यारसी
24 मिश्री पुत्री सारली एवं गंगलिया (दौराने अपील मृतका)
24/1 शेरसिंह दत्तक पुत्र देवकरण निवासी ढाणी रावता तन टीबा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (हाल जिला नीमकाथाना)
25 बादामी पुत्री सारली एवं गंगलिया
26 बनारसी पुत्र सारली एवं गंगलिया (दौराने अपील मृतका)
26/1 मांगेराम उर्फ मांगीलाल पुत्र श्योनारायण,
26/2 होशियान सिंह पुत्र श्योनारायण
26/3 हंसराज पुत्र श्योनारायण
26/4 लीलाराम पुत्र श्योनारायण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त निवासीगण ग्राम रूपसराय पोस्ट सरेली, तहसील नागल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

अपीलांट

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र छाजू नवीरा सुरजा
2 बुगल पुत्र छाजू नवीरा सुरजा
3 गीता बेवा छाजू
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण जमालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
4 रोशनी पुत्री छाजू पत्नी गिरधारीलाल जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.। (मृतक)
4/1 मगनिया पुत्री रोशनी
4/2 कृष्ण पुत्र रोशनी
समस्त जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
5 भगोती पुत्री सुरजा पत्नी प्रभू जाति गुर्जर निवासी बैवा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (मृतका)
5/1 गंगासहाय पुत्र भगोती
5/2 श्योसहाय पुत्री भगोती
5/3 मनोहरी पुत्री भगोती पत्नी केवलाराम
5/4 ज्यानकी पुत्री भगोती पत्नी ख्यालीराम
5/5 मोहरी पुत्री भगोती पत्नी रोहताश
समस्त जाति गुर्जर निवासी बैवा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6 पवन कुमार यादव पुत्र श्री गिरधारीलाल यादव जाति अहीर निवासी सेक्टर नम्बर 21 मकान नम्बर 123 गुरूग्राम नियर टुडोहड़ा तहसील व जिला गुरूग्राम (हरियाणा)।
7 शेखावाटी ग्रामीण बैंक बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू जरिये प्रबंधक
8 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जिला झुन्झुनू जरिये प्रबंधक
9 तहसीलदार भू–अभिलेख खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
10 भूमि धारक तहसीलदार, खेतड़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदैन सहायक कलेक्टर खेतड़ी बमुकदमा उनवानी सरवती वगैरह बनाम महेन्द्र वगैरह दावा घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन मु.नं. 65/2008

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 16.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहाकय कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 65/2008 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण/अपीलान्टस एक वाद घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन वाके ग्राम जमालपूर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादीगण अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 20 लगायत 24 का अपने निर्णय में उल्लेख नहीं किया। जबकि उक्त दस्तावेजात उक्त वाद का निस्तारण के लिए अहम दस्तावेज थे तथा वादीगण की ओर से अपनी साक्ष्य में उक्त दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये थे। विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेज के सम्बन्ध में अपने निर्णय में किसी प्रकार की कोई फाईडिंग नहीं दी। तनकी संख्या 1 के निस्तारण के लिए दस्तावेज प्रदर्श 20 लगायत 24 सुसंगत दस्तावेज थे विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निस्तरण के समय वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 20 लगायत 24 विकय पत्र का उल्लेख नहीं किया। जबकि वादीगण/अपीलान्टस की ओर से वाद के उक्त दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज थे जिन पर उनका वाद घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती की रिलिफ निर्भर करती थी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेज को गौण कर दिया और तनकी नम्बर 1 का निस्तारण अपीलान्टस के विरूद्ध तय करने में भारी कानूनी भूल की है। तनकी संख्या 2 का निस्तारण के समय विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एंव दस्तावेजी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

साक्ष्य का विवेचन नहीं करके उक्त तनकी का निस्तारण किया है जबकि वादीगण ने अपनी प्लींडिग्स व साक्ष्य से यह साबित किया है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 के पूर्वज ने अपने हक हिस्से की भूमि अपने जीवनकाल में विक्रय कर दी है तथा मौके पर उनका कोई वादग्रस्त जमीन पर कोई कब्जा काश्त नहीं था केवल रिकार्ड के आधार पर राजस्व कर्मचारियों की भूल की वजह से उनका हिस्सा 1/2 उक्त वादग्रस्त शेष बची भूमि में दर्ज चला आ रहा था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त राजस्व रिकार्ड की आड़ में उक्त भूमि 1/2 हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के हक में दिनांक 12.02.2008 को विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया। जब अपीलान्टस की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया है तो विचारण न्यायालय को यह देखना था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज ने वादग्रस्त जमीन में से अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि का बेचान किया है या नही। इस संबंध में कोई फाईडिंग नहीं दी है। विचारण न्यायालय ने केवल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 (प्रदर्श 1) व विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 (प्रदर्श 25) का उल्लेख करते हुए उक्त तनकी संख्या 2 अपीलान्टस के विरूद्ध तय करने में भारी भूल की है। तनकी संख्या 3 के निस्तारण के समय विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह फाईडिंग नहीं दी है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज ने वादग्रस्त भूमि में से अपने जीवनकाल में विक्रय पत्र के जरिये भूमि का बेचान किया जा चुका था तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को केवल अपने पूर्वज सूरजा की शेष भूमि का ही बेचान करने का अधिकार प्राप्त था। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उनके पूर्वज द्वारा पूर्व में जो वादग्रस्त भूमि में से भूमि विक्रय कर चुका था उसके बाद भी राजस्व कर्मचारियों की गलती से सूरजा का ही हिस्सा 1/2 दर्ज रह गया। उक्त राजस्व रिकार्ड की भूल का नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने पूर्व में सूरजा द्वारा विक्रय की गई भूमि के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना अपने जवाबदावा में अंकित किया। यहां विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि जब सूरजा ने पूर्व में ही अपने हक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

हिस्से की भूमि का वह बेचान कर चुका है तो उनके वारिसान को केवल सूरजा के शेष बची भूमि को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था उससे अधिक का नहीं था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 के निस्तारण के समय यह फाईडिंग दी है कि सूरजा ने 35 बीघा ज्यादा भूमि का बेचान नहीं किया है जबकि सूरजा ने अपने हक हिस्से की भूमि में से वर्णित धारा 3 में दर्ज 5 विक्रय पत्र के जरिये भूमि का बेचान किया था तथा उसके बाद वादग्रस्त की शेष भूमि में से 1/2 का हिस्सेदान फिर बन गया और उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में उनके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने पुनः जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 का 4.64 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को बेचान कर दी। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस यह रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी थे कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। तनकी संख्या 4 का निस्तारण भी विचारण न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित जाकर तय किया है किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार तो सिविल न्यायालय को प्राप्त है परन्तु किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के लिए राजस्व न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए शून्य एवं निष्प्रभावी की रिलिफ दी जा सकती है। अपीलान्टस ने अपने वाद व साक्ष्य से यह साबित किया है कि वादीगण/अपलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा था इसलिए ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज सूरजा के हिस्से में भूमि गत खसरा नम्बर 475, 476, 477, 323, 363, 315, 313, 511, 512, 365 कुल किता 10 रकबा 33 बीघा 13 बिश्वा भूमि आई हुई थी। जिस पर सूरजा अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहा तथा उक्त भूमि में से ही पंजीकृत विक्रय पत्रों के जरिये भूमि का बेचान किया था। शेष भूमि पर वादीगण अपीलान्टस के पूर्वज काबिज काश्त थे तथा खसरा नम्बर 475 में से 4 बीघा 14 बिश्वा एवं खसरा नम्बर 476 में से 4 बीघा 1 बिश्वा भूमि सूरजा ने अपने जीवनकाल में चन्द्रा पुत्र हरजी को काश्त हेतु दे रखी थी जो सूरजा का उपकृषक था उक्त भूमि का जरिये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नामान्तकरण संख्या 61 के द्वारा चन्द्रा खातेदार बन गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज के द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान करने बाद वादग्रस्त भूमि में उसका कोई हक अधिकार नहीं रहा। तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का भी उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं था न ही उनका कोई कब्जा काश्त था इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा जो विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया गया है वह वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध शून्य एंव निष्प्रभावी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम जमालपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 686 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 695 रकबा 0. 20 है., खसरा नम्बर 696 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 698 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 699 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 752 रकबा 0.27 है., खसरा नम्बर 1035 रकबा 0.29 है., खसरा नंबर 1036 रकबा 0.33 है., खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.28 है., खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 1046 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 1047 रकबा 0.44 है., खसरा नम्बर 1052 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.27 है., खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1079 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 1081 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.33 है., खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.50 है., किता 28 रकबा 9.28 है. भूमि की खातेदारी के संबंध में विवादि हेतु दावा पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी जमाबंदी संवत 2014–17 (प्रदर्श–11) के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

गत खसरा नम्बर क्रमशः 465, 475, 485, 476, 477, 323, 314, 322, 484, 496, 321, 363, 483, 511, 495, 315, 313, 512, 518, 324, 365, 486 किता 22 रकबा 70 बीघा 9 बिश्वा के सुरजा पुत्र कुशाला हि. 1/2 दर्ज रिकार्ड है। इसके बाद बनी जमाबंदी में भी उक्त सुरजा पुत्र कुशाला का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड रहा है। उक्त सुरजा पुत्र कुशाला कि मृत्यु के बाद उनके विधिक उत्तराधिकारी हाल खसरा नम्बर 237, 685, 686, 695, 696, 698, 699, 752, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1046, 1047, 1052, 1066, 1067, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1111, 1112, 1120, 1121 किता 28 रकबा 9.28 है. भूमि गीता बेवा छाजू महेन्द्र, बुगल पुत्र छाजू नवीरा सुरजा हि. 1/2 के नाम विरासतन इंतकाल स्वीकार हुआ जो जमाबंदी संवत 2052–2055 (प्रदर्श–3) से स्पष्ट है। वाद पत्र के अभिवचनों एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा एंव दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर सुरजा पुत्र कुशाला के बाद उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा शुरू से ही रहा है तथा विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 के बाद प्रतिवादी संख्या 6 का संदेह से परे साबित है। वादग्रस्त भूमि का सुरजा पुत्र कुशाला 1/2 हिस्से की खातेदारी का कब्जे काश्तकार रहा है उक्त सुरजा के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 भी निरन्तर 1/2 हिस्से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जो जमाबंदी संवत 2064–2067 (प्रदर्श–1) के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त वादग्रस्त भूमि के अपने 1/2 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 6 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 को बेचान कर दिया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र (प्रदर्श–25) से स्पष्ट है। वाद पत्र के अभिवचनो, वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि में जो बेचान हुआ है वह शामिल में से कम हुई सुरजा ने 35 बीघा से ज्यादा भूमि का बेचान नहीं किया है। तथा अब जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रतिवादी संख्या 6 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बेचान की है वह अपने हिस्से की भूमि का ही बेचान किया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध उनके रिकार्डेड खातेदारी पर वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। नकल जमाबंदियों व विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 से उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हिस्सा 1/2 पर कदीम से काबिज काश्तकार रहा है उसी कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने उप पंजीयक तहसीलदार, खेतड़ी के यहां दिनांक 12.02.2008 को प्रतिवादी संख्या 6 के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया है। उक्त विक्रय पत्र जब पंजीयन करवाया गया उस समय प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2064–2067 (प्रदर्श–1) से प्रमाणित है। इसलिए उक्त विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 को न्याय की दृष्टि से प्रतिवादी संख्या 6 की हद तक शुन्य घोषित नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वादीगण अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 20 लगायत 24 का अपने निर्णय में उल्लेख नहीं किया। जबकि वादीगण की ओर से अपनी साक्ष्य में उक्त दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये थे। विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेज के सम्बन्ध में अपने निर्णय में किसी प्रकार की कोई फाईडिंग नहीं दी। तनकी संख्या 1 के निस्तारण के लिए दस्तावेज प्रदर्श 20 लगायत 24 सुसंगत दस्तावेज थे विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निस्तरण के समय वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 20 लगायत 24 विक्रय पत्र का उल्लेख नहीं किया। जबकि वादीगण/अपीलान्टस की ओर से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वाद के उक्त दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज थे जिन पर उनका वाद घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती की रिलिफ निर्भर करती थी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेज को गौण कर दिया और तनकी नम्बर 1 का निस्तारण अपीलान्टस के विरूद्ध तय करने में विधिक त्रुटि की है। तनकी संख्या 2 का निस्तारण के समय विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एंव दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन नहीं करके उक्त तनकी का निस्तारण किया है विचारण न्यायालय ने केवल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 (प्रदर्श 1) व विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 (प्रदर्श 25) का उल्लेख करते हुए उक्त तनकी संख्या 2 अपीलान्टस के विरूद्ध तय करने में विधिक त्रुटि की है। तनकी संख्या 3 के निस्तारण के समय विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह फाईडिंग नहीं दी है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज ने वादग्रस्त भूमि में से अपने जीवनकाल में विक्रय पत्र के जरिये भूमि का बेचान किया जा चुका था तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को केवल अपने पूर्वज सूरजा की शेष भूमि का ही बेचान करने का अधिकार प्राप्त था। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उनके पूर्वज द्वारा पूर्व में जो वादग्रस्त भूमि में से भूमि विक्रय कर चुका था उसके बाद भी राजस्व कर्मचारियों की गलती से सूरजा का ही हिस्सा 1/2 दर्ज रह गया। यहां विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि जब सूरजा ने पूर्व में ही अपने हक हिस्से की भूमि का वह बेचान कर चुका है तो उनके वारिसान को केवल सूरजा के शेष बची भूमि को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था उससे अधिक का नहीं था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 के निस्तारण के समय यह फाईडिंग दी है कि सूरजा ने 35 बीघा ज्यादा भूमि का बेचान नहीं किया है जबकि सूरजा ने अपने हक हिस्से की भूमि में से वर्णित धारा 3 में दर्ज 5 विक्रय पत्र के जरिये भूमि का बेचान किया था तथा उसके बाद वादग्रस्त की शेष भूमि में से 1/2 का हिस्सेदान फिर बन गया और उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में उनके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने पुनः जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 का 4.64 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को बेचान कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

दी। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर